भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(119)

## रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

निगरानी – 3764/2018/इंदौर/भू.रा.

**माखनसिंह पिता बद्रीलाल**

निवासी – ग्राम मुसाखेडी,

तहसील व जिला इन्दौर ... प्रार्थी

विरूद्ध

**बालकृष्ण पिता मुकुन्दराम उपाध्याय**

निवासी – ग्राम सेतखेडी

तहसील व जिला इन्दौर – प्रत्यर्थी

## निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय इन्दौर द्वारा प्र.क्र. 10/अ–70/16–17 में पारित आदेश दि. 04.04.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करते है :–

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी 3764/2018/इंदौर/भूरा

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26-6-18 | आवेदक अधिवक्ता श्री हरीश सोलंकी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-4-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदारद्वारा आवेदक का जबाव प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । अत: तहसीलदार को निर्देशित किया जाता हैकि वे उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवेदक को जबाव प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें । तहसीलदार को इस निर्देश के साथ इस न्यायालय में यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।<br><br>अध्यक्ष | |